

राजस्थान

राष्ट्रदूत जयपुर, 4 सितम्बर, 2024

सिरोही ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
वी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016

सूचना

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के अंतर्गत)

1. सिरोही ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय वी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 में है, जो कंपनी अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निगमित है, ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत ट्रांसमिशन लाइनों, सब-स्टेशनों और अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष आवेदन किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	लाइन / सबस्टेशन का नाम (नोट के अनुसार स्थान)	बीपीसी / क्षमता की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार लाइन की लंबाई	ट्रांसमिशन शुल्क (रुपये) मिलियन प्रति वर्ष	अनुसूची सीओडी	टिप्पणियां
1.	765/400 kV सिरोही सबस्टेशन और संबंधित उपकरण	3000 एमवीए, 730 एमवीएआर (वस रियेक्टर) 480 एमवीएआर (एसएलआर)			
2.	765 kV फतेहगढ़-IV (खंड-2) पीएस-सिरोही पीएस डी / सी लाइन	232.634 कि.मी.	2908.53	टीएसए की प्रभावी तारीख अर्थात् 22.08.2024 से 24 महीने	
3.	फतेहगढ़-IV (खंड-2) पीएस पर 765 kV लाइन बेज	480 एमवीएआर			
4.	400 kV सिरोही पीएस-चित्तौड़गढ़ (पीजी) डी / सी लाइन	210.801 कि.मी.			
5.	चित्तौड़गढ़ (पीजी) एस / एस पर 400 kV लाइन बेज	160 एमवीएआर			

नोट: (i) क्रम सं. 1, 2, 3, 4 और 5 के स्थान राजस्थान राज्य में हैं

(ii) संपूर्ण दायरे के लिए कृपया <https://www.powergrid.in/subsidiaries> देखें

- आयोग के समक्ष दायर किया गया पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <https://www.powergrid.in/subsidiaries> पर उपलब्ध हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति देख सकता है। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के कार्यालय में द्वारा ईडी (टीबीसीडी), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नं. 2, सेक्टर-29, गुडगांव 122001 में श्री जे आर यादव, परियोजना प्रभारी, सिरोही ट्रांसमिशन लिमिटेड के पास या आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आयोग के कार्यालय में किया जा सकता है।
- आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों तो, उन्हें समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित होने के 15 दिनों के भीतर आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट को आपत्ति/सुझाव की एक प्रति के साथ सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, 7वीं मंजिल, टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029 के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

जे आर यादव,

परियोजना प्रभारी,

सिरोही ट्रांसमिशन लिमिटेड

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 04.09.2024

एक महारत्न पीएसयू